न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

प्रधानी नियुक्ति अपील वाद सं0–01/2019–20
आर0एम0ए0

बाबुराम हांसदा
बनाम
लखीराम हांसदा वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

30.12.2020

यह अपील वाद अपीलार्थी बाबुराम हांसदा, पिता–स्व0 चन्द्राई हांसदा, सा0–बरदाहा, थाना–आमडापाड़ा के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0वाद सं0–30/2012–13 (पी0ए0 वाद सं0–73/2012–13 संलग्न) में दिनांक 29.08.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

ममला संक्षेप में यह है कि मौजा–बरदाहा, थाना–आमड़ापाड़ा के ग्राम प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु दो आवेदक बाबुराम हांसदा, पिता–स्व0 चन्द्राई हांसदा एवं लखीराम हांसदा, पिता–स्व0 चन्द्राई हांसदा के द्वारा निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0वाद सं0–30/2012–13 (पी0ए0 वाद सं0–73/2012–13 संलग्न) में दिनांक 29.08.2019 को आदेश पारित करते हुए आवेदक बाबुराम हांसदा को SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 5 के तहत उक्त मौजा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा की गई उक्त नियुक्ति के विरूद्ध आवेदक लखीराम हांसदा के द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर किया गया जो आर0एम0ए0 वाद सं0–23/2013–14 के रूप में पंजीकृत हुआ। उक्त आर0एम0ए0 वाद सं0–23/2013–14 में दिनांक 17.11.2018 को पारित आदेश द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.08.2013 को SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 6 एवं SPT (Supp.) Rules 1950 के अनुसूची–V के नियम (1)एवं (3) में किए गए प्रावधान के साथ–साथ विज्ञ आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा मिस वाद सं0–439/1987–88 में दिनांक 17.01.1988 तथा विज्ञ आयुक्त, भागलपुर द्वारा एस0पी0रेम0मिस0अपील नं0– 92/1964–65 में दिनांक 27.05.1965 को पारित आदेश के विरूद्ध होने के कारण set aside करते हुए पुनः निम्न न्यायालय को इस निदेश के साथ Remand किया गया कि वे इस मामले को SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 6 के अन्तर्गत नये सिरे से विचारण (Fresh consideration) करते हुए सभी सम्बद्ध पक्षों को सुनकर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त आदेश के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 वाद सं0–30/2012–13 (73/2012–13 संलग्न) में दिनांक 29.08.2019 को पारित आदेश द्वारा आवेदक लखीराम हांसदा को मौजा–बरदाहा का ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी बाबुराम हांसदा द्वारा यह अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 6 तथा SPT (Suppl.) Rules 1950 के सेड्युल V के नियम (1) का अनुपालन नहीं किया गया। ग्राम प्रधान रैयतों का प्रतिनिधि (Representative) होता है अतः ग्राम प्रधान की नियुक्ति में जमाबन्दी रैयतों की सहमति (Consent) आवश्यक होती है। प्रश्नगत मामले में मौजा–बरदाहा के जमाबन्दी रैयतों का कोई wish अथवा Consent नहीं लिया गया। जो सेड्युल V के नियम (1) का उल्लंघन है। निम्न न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर कि उत्तरवादी पूर्व नियुक्त ग्राम प्रधान के ज्येष्ठ पुत्र है। उनकी नियुक्ति ग्राम प्रधान के पद पर कर दी गई। जबकि ग्राम प्रधान के पद पर Fit होने के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए था। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के Division Bench द्वारा MJC 1070/1961 में पारित न्याय निर्णय (BLJR 1965 page 674 to 677) का हवाला देते हुए कहा गया कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति में रैयतों की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा list of document के रूप में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय एवं बाबुराम हांसदा को निर्गत विद्यालय हस्तानान्तरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है एवं शिक्षित है जबकि उत्तरवादी साक्षर नहीं है। अतः वर्त्तमान परिपेक्ष्य में उत्तरवादी निरक्षर होने तथा जमाबन्दी रैयतों का सहमति नहीं होने के कारण ग्राम प्रधान के योग्य (Fit) नहीं है।

अपीलार्थी के द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि यह अपील आवेदन विचारण योग्य नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा SPT (Supp. Prov.) Act 1949 के प्रावधानों एवं

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

माननीय आयुक्त महोदय द्वारा पारित आदेश के आधार पर उत्तरवादी की नियुक्ति ग्राम प्रधान के पद पर की गई है। उनका आगे कहना है कि उत्तरवादी एवं अपीलार्थी दोनों सहोदर भाई है। उत्तरवादी ज्येष्ठ है अतः वंशानुगत आधार पर नियुक्ति मे ज्येष्ठ होने के कारण उनकी नियुक्ति बिल्कुल नियमसंगत है।

उत्तरवादी के द्वारा माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के रेम0मिस0अपील नं0– 439/1987–88 में दिनांक 17.01.1989 को पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि ज्येष्ठ पुत्र ग्राम प्रधान के पद को Inherit करते है तथा उनके दावे को केवल इस आधार पर अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण उन्हें पसन्द नहीं करते है।

उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख तथा निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2019 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी एवं उत्तरवादी दोनों सहोदर भाई है तथा पूर्व ग्राम प्रधान स्व0 चन्द्रराई हांसदा के क्रमशः कनिष्ठ एवं ज्येष्ठ पुत्र हैं।

इस मामले में विचारण का केवल एक बिन्दु यह है कि निम्न न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आर0एम0ए0 वाद सं0–23/2013–14 में दिनांक 17.11.2018 को पारित आदेश के आलोक में प्रधान नियुक्ति की कार्रवाई की गई है अथवा नहीं।

उक्त आर0एम0ए0 वाद सं0–23/2013–14 में पारित आदेश का उद्धहरण निम्नवत है :–

" . . . . . उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्तओं को सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड द्वारा दिनांक 23.08.2013 को पारित आदेश SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 6 एवं SPT (Suppl.) Rules 1950 के अनुसूची V का नियम (1) एवं (3) में की गयी प्रावधान के साथ–साथ विज्ञ आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा Misc. Case No.- 439/1987-88 में दिनांक 17.01.1988 तथा विज्ञ आयुक्त, भागलपुर द्वारा SPRev.Misc Appl. No.- 92/1964-65 में दिनांक 27.05.1965 को पारित आदेश के विरूद्ध होने के कारण अपील स्वीकृत करते हुए उक्त आदेश को खण्डित (Set aside) करके इस मामले को पुनः अनुमंडल

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

पदाधिकारी, पाकुड़ को इस निदेश के साथ रिमाण्ड (Remand) किया जाता है कि वे इस मामले को SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 6 के अन्तर्गत नए सिरे से विचारण (Fresh Consideration) करते हुए सभी सम्बद्ध पक्षों को सुनकर आदेश प्राप्ति के दो माह के अन्दर निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।"

निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.2019 का अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अन्तिम पारा का उद्धहरण निम्नवत है।

" अतएव SPT (Supp. Prov.) Act 1949 की धारा 6 एवं SPT (Suppl.) Rules 1950 के अनुसूची V का नियम (1) एवं (3) में की गयी प्रावधान के साथ–साथ विज्ञ आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा Misc. Case No.- 439/1987-88 में दिनांक 17.01.1988 तथा विज्ञ आयुक्त, भागलपुर द्वारा SPRev.Misc Appl. No.- 92/1964-65 में दिनांक 27.05.1965 को पारित आदेश को आत्मसात् करते हुए आवेदक बाबुराम हांसदा को मौजा बरदाहा के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत दावा को खारिज किया जाता है एवं आवेदक लखीराम हांसदा, पे0–स्व0 चन्द्राय हांसदा, सा0–बरदाहा, थाना अमड़ापाड़ा को मौजा बरदाहा के ग्राम प्रधान के पद पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत नियुक्त किया जाता है।"

विज्ञ आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा Misc. Case No.- 439/1987-88 में दिनांक 17.01.1988 को पारित आदेश के अनुसार SPT (Supp. Prov.) Act 1949 एवं Santhal Customary Law के तहत ग्राम प्रधान का पद ज्येष्ठ पुत्र Inherit करते है तथा उनके दावे को केवल इस आधार पर नकारा नहीं जा सकता कि ग्रामीण उन्हें पसन्द नहीं करते है।

SPT (Suppl.) Rules 1950 के अनुसूची V का नियम (1) के अनुसार ग्राम प्रधान की नियुक्ति Village Customs के तहत की जानी है तथा किसी नियुक्ति को संपुष्ट करने के पूर्व उपायुक्त को स्वयं इस बात से संतुष्ट होना है कि अभ्यर्थी रैयतों द्वारा generally acceptable हो। अनुसूची V के नियम 3 का उद्धहरण निम्नवत है :–

" The office of the headman being hereditary. The next heir, who is fitted, should be headman. If the heir be a minor, he may be appointed headman with a Sarbrakhar to manage for him until he attains his majority. If no Sarbrakhar can be

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	found, the right of the minor lapses." अनुसूची V का नियम (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी ग्राम प्रधान की नियुक्ति की संपुष्टि के पूर्व यह देखा जाना अनिवार्य है कि संबंधित अभ्यर्थी रैयतों के बीच generally acceptable हो तथा अनुसूची V (3) से यह स्पष्ट है कि वंशानुगत आधार पर नियुक्ति के पूर्व दावेदार इस पद के लिए Fit है या नही के संदर्भ में भी विचार किया जाना चाहिए। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में न तो next heir के Fit होने के संदर्भ में और न ही रैयतों के बीच अभ्यर्थियों के generally acceptable होने के संदर्भ में कोई विवेचना किया गया है। स्पष्टतः निम्न न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के आर0एम0ए0वाद सं0– 23/2013–14 में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अतः अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए यह वाद पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ को इस निदेश के साथ Remand किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा आर0एम0ए0वाद सं0– 23/2013–14 में पारित आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए तीन माह के अन्दर ग्राम प्रधान की नियुक्ति विधिवत करना सुनिश्चित करेंगे। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें। लेखापित एवं संशोधित। 20.12.2020 उपायुक्त, पाकुड़। 20.12.2020 उ पा यु क्त, पाकुड़।	23/DB 25.3.20

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2022.10.13 15:48:16 +05:30
Location: 192.168.1.101